

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

केस संख्या : 24/25

दिनांक आज या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

केस संख्या :

दिनांक आज या कार्यवाही


केस संख्या	दिनांक आज या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
28/25	28/4/25	पत्रावली आज दिनांक 28/4/25 को पेश हुई। डिस्ट्रिक्ट एड. बार एर्रो जयपुर द्वारा कबोलना की जाने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/5/25 को पेश हो।
5/25	5/5/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड. बार एर्रो जयपुर द्वारा कबोलना की जाने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/5/25 को पेश हो।
12/25	12/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी, नप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 की पुनः तजवी की गई। प्रार्थी को पत्रावली वामे वलमी डिक्ट 21/5/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
21/25	21/5/25	पत्रावली आज दिनांक 21/5/25 को पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड. बार एर्रो जयपुर द्वारा कबोलना की जाने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/5/25 को पेश हो।
9/25	9/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी 1, 2, 3 की रीट एपी प्रार्थी को इव है कोर्ट उपस्थित नहीं है अतः कोर्ट किन्तु एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वामे वलमी डिक्ट 12/6/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
17/25	17/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी उप. प्रार्थी के प्रार्थी उप. प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

16/12/25

फर्द अहकाम  
 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर  
 के आदेश के अन्तर्गत

केस संख्या :

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>विधित्त विभागके उक्त आदेशों को खुदबुद एवं बेमान कलेपर आदेश है यदि अप्राचीण उक्त कृत्य करने में सफल हो जाते हैं तो प्राचीण को अप्रवर्णीय धारि होने की प्रबल संभावना है उक्त अप्राचीण को परिमै आदेश निर्व्याप्त हो पावतं निया जसे।</p> <p>हमारे पत्रावली का अवलोकन किया जात कंबोर से संबंधित है यदि अप्राचीण विना विधित्त तक्रारों के विशिष्ट कर काग को खुदबुद एवं बेमान करते हैं तो प्राचीण/प्रादीण के वाद का अंतर्गत समाप्त होने की संभावना है उक्त वाद का दुल्हता को रोकने व उनके सम्पत्ति हेतु इस न्यायालय के आदेश दिनांक - 27.03.2024 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है।</p> <p>पत्रावली में मूल मुद्दा हीमा शक्ति इत्यादि है।</p>	

  
 सहायक कलक्टर  
 आमेर मु० जयपुर